

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 180/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्रीमति पुरोदेवी पत्नी मगाराम उम्र 61 वर्ष		1. मोहनी पत्नी शकरलाल उम्र 55 वर्ष जाति प्रजापत निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
2. गोपाराम पुत्र मगाराम उम्र 40 वर्ष जातियान सुथार निवासीयान नाखोडा तहसील सिणधरी जिला बा		2. नेशनल हाईवे बजरिये प्रोजेक्ट अधिकारी सिणधरी जिला बाडमेर
		3. सहायक अभियन्ता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग सिणधरी जिला बाडमेर
		4. मगाराम पुत्र शोभाराम उम्र 61 वर्ष जाति सूथार निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
		5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

- श्री. रामजीवन विशनोई , अधिवक्ता प्रार्थीगण की.ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 29.01.2025

- संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा नाकोडा तहसील सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 36/15 रकबा कमशः 0.16 हेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 36/15 रकबा कमशः 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 36/15 रकबा कमशः 0.1618 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 36/15 रकबा कमशः 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 36/15 रकबा कमशः 0.1618 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

3
उपलब्ध/अपनी
सिणधरी

लेहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 36/15 रकबा कमशः 0.1618 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी